


आयालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक फर्द अहकाम

आदि क्रमं 1560 रकवा 0.48 हेक्टे डाय (वर्ग) 1566 व 1567 से 7 एअर रकवा लेने पर कुल 0.55 हेक्टे रकवा होता है।

अतः मुबं 0646/04 के डिप्टी कोडेश दिनांक 21.06.2005 में आवश्क संशोधन होना चा वही द्वारा चारा 151 काका इन्डान दुकस्ती का कले पर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रकाश दुकस्ती कले आने पर पुनः इजराय प्राप्त पेश किया जावे। प्रकाशनी वाड लक्ष्मील शाखिल इफ्तल की जांच आप ही जाती है।


 उप जिला कलेक्टर
 हिण्डौन सिटी, जिला करौली